

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग,  
मंत्रालय

कमोंक : 373/आर-63/2022/ब-1/चार  
प्रति,

भोपाल दिनांक 3 | मार्च 2022

- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
शासन के समस्त विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल ।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,  
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 - बजट आवंटन एवं व्यय की त्रैमासिक कार्ययोजना के संबंध में  
दिशा-निर्देश ।

---000---

1. मध्यप्रदेश विनियोग (कमांक- 02) अधिनियम, 2022 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये विभिन्न मांग संख्याओं में अनुदान प्राप्त किया गया है। मध्यप्रदेश विनियोग (कमांक- 02) अधिनियम, 2022 के अनुसार मांग संख्यावार बजट पुस्तकें प्रकाशित हैं एवं वित्त विभाग की वेबसाईट [www.finance.mp.gov.in](http://www.finance.mp.gov.in) पर भी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोषालय से आहरण के लिए निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

(I) बजट आवंटन -

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्यय के संतुलन तथा मितव्ययता की दृष्टि से बजट आवंटन की निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-
- (i) वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुक्त श्रेणी के व्ययों हेतु संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार बजट शीर्षों में प्रावधानित बजट का 100 प्रतिशत आवंटन जारी किया जाता है ।
- (ii) परिशिष्ट-1 के अतिरिक्त राजस्व व्यय के अन्य बजट शीर्षों में प्रावधानित बजट का 80 प्रतिशत आवंटन जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता होने पर विभाग संलग्न प्रारूप-1 अनुसार वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेगा ।
- (iii) परिशिष्ट-1 के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के अन्य बजट शीर्षों में प्रावधानित बजट का 100 प्रतिशत आवंटन जारी किया जाता है। परिशिष्ट-2 (विशेष व्यय सीमा) में उल्लेखित विभागों के पूंजीगत व्ययों हेतु प्रावधानित बजट का 100 प्रतिशत तदनुसार दर्शित सीमा के अंतर्गत विमुक्त किया जाता है।
- (vi) परिशिष्ट-3 में उल्लेखित योजनाओं में वित्त विभाग से अनुमति उपरांत ही आहरण किया जा सकेगा।



- (v) परिशिष्ट-4 में उल्लेखित योजनाओं में सक्षम प्राधिकारी से योजना का अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग, वित्त विभाग को अवगत करायेगा। वित्त विभाग द्वारा परिशिष्ट 4 से योजना को हटाने के उपरांत योजना के सुसंगत नियमों के अनुसार आहरण किया जा सकेगा।

(II) व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना -

3. प्रशासकीय विभागों द्वारा किये जा रहे विभागीय व्ययों को निम्न दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :-
- (i) 'मुक्त' श्रेणी के व्यय - ऐसे व्यय जिन्हें वर्तमान में त्रैमासिक / विशेष व्यय सीमा से मुक्त रखा गया हो। (वेतन-भत्ते-मजदूरी / न्यायालयीन डिकी / छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति / प्राकृतिक आपदा / ऋण अदायगी आदि अतिआवश्यक व्ययों को मुक्त श्रेणी के व्यय में सम्मिलित किया गया है। ऐसे व्ययों पर त्रैमासिक / विशेष व्यय सीमा लागू नहीं होगी।)
- (ii) सामान्य श्रेणी के व्यय ( ऐसे समस्त व्यय जो 'मुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत न हो)
4. कंडिका 3 (ii) अनुसार वर्गीकृत सामान्य श्रेणी के व्ययों के लिए निम्नांकित दो प्रकार के नियंत्रण हो सकते हैं :-
- (क) त्रैमासिक व्यय सीमा
- (ख) विशेष व्यय सीमा

4.1 त्रैमासिक व्यय सीमा -

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण, मुक्त श्रेणी एवं विशेष व्यय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन को छोड़कर शेष वार्षिक आवंटन के आधार पर किया जायेगा। प्रथम दो त्रैमास में अधिकतम 55 प्रतिशत, प्रथम तीन त्रैमास में अधिकतम 80 प्रतिशत तथा केवल चतुर्थ त्रैमास हेतु बजट प्रावधान का अधिकतम 30 प्रतिशत व्यय सीमा निर्धारित की जाती है। निर्धारण का आधार प्रारूप-2 में दर्शाया गया है।

त्रैमासिक व्यय सीमा प्रत्येक बजट शीर्ष स्तर (उद्देश्य शीर्ष स्तर तक) पर लागू होगी।

टीप :- यदि एकमुश्त भुगतान (जैसे उपकरणों का क्रय आदि) किया जाना हो, तो विभाग त्रैमासिक व्यय सीमा से शिथिलता हेतु प्रकरणवार प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित कर सकता है।

4.2 विशेष व्यय सीमा -

विशेष व्यय सीमा त्रैमासिक व्यय सीमा के स्थान पर निर्धारित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु पूंजीगत कार्यों के लिए विशेष व्यय सीमा परिशिष्ट-2 के अनुसार होगी। उक्त विशेष व्यय सीमा त्रैमासिक व्यय सीमाओं के स्थान पर लागू मानी जाएगी, अर्थात् उल्लेखित अवधि के दौरान उल्लेखित व्यय शीर्षों पर केवल उल्लेखित व्यय सीमा लागू होंगी, त्रैमासिक व्यय सीमाएं लागू नहीं होंगी।

#### 4.3 त्रैमासिक व्यय सीमा में परिवर्तन -

अनुपूरक बजट प्रावधानों को शामिल करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये त्रैमासिक व्यय सीमा परिवर्तित हो सकती है ।

यदि एक बीसीओ दूसरे बीसीओ को राशि हस्तांतरित करता है, तो दूसरे बीसीओ द्वारा हस्तांतरित राशि में से किए गए व्यय को, पहले बीसीओ की त्रैमासिक व्यय सीमा के अंतर्गत माना जाएगा ।

यदि पुनर्विनियोजन द्वारा बजट शीर्षों में उपलब्ध आवंटन में परिवर्तन होता है तो उपरोक्त गणना अनुसार त्रैमासिक व्यय सीमा में परिवर्तन हो सकता है ।

#### (III) अन्य निर्देश -

- (i) बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा इस बजट आवंटन आदेश से जारी होने वाला बजट IFMIS के माध्यम से संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- (ii) मध्य प्रदेश वित्त संहिता भाग-1 के नियम 118 अनुसार वित्तीय वर्ष की समग्र आवश्यकता का अनुमान लगाने के पश्चात् ही उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार सामग्री के क्रय करने की कार्यवाही की जानी चाहिये ।
- (iii) मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग-1 के नियम 9 में वर्णित वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों तथा शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये । बजट आवंटन से अधिक के नवीन कार्यों/दायित्व निर्मित नहीं किये जाएँ । उपलब्ध बजट आवंटन से सर्वप्रथम पुराने लंबित दायित्वों का निराकरण किया जाए तत्पश्चात् शेष उपलब्ध आवंटन के अनुरूप वित्तीय वर्ष के लिये लक्ष्य निर्धारण किया जाये ।
- (iv) यदि किसी योजनांतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2022 की स्थिति में महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है तो उपयोगिता प्रमाण पत्र की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान की राशि जारी की जाये ।
- (v) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय वर्ष के लेखे अगले वर्ष के सितंबर माह तक अंतिम किये जाने चाहिये । इसके अतिरिक्त वैधानिक निगमों को उनके अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप लेखों को अंतिमिकृत किया जाना चाहिये । अतः ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/वैधानिक निगम जिनके द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत लेखों को अंतिमिकृत नहीं किया गया हो उन्हें राज्य शासन के बजट से राशि जारी नहीं की जाये ।
- (vi) हितग्राही मूलक योजनाओं में उपलब्ध बजट आवंटन के अनुसार ही वित्तीय वर्ष के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जाएँ ।
- (vii) किसी भी योजनांतर्गत राशि के आहरण की स्वीकृति तब तक जारी नहीं की जाए जब तक कि देयता निर्मित नहीं हो गई हो ।



- (viii) केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता पोषित योजनाओं में केंद्र से धनराशि के प्राप्ति के पश्चात् ही केंद्रांश तथा समतुल्य राज्यांश का आहरण कोषालय से किया जाकर SNA खातों में राशि अंतरित की जाना चाहिये।
- (ix) जिन योजनाओं/कार्यक्रमों में भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के आधार पर राशि प्राप्त होती है, राशि व्यय होने के अधिकतम दो माह के अंदर उसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए।
- (x) बजट के कुछ शीर्षों में प्रावधान विभिन्न विकास उपकरणों से होने वाली आय से निर्मित विकास एवं कल्याण निधियों से धनराशि अंतरित होने की अपेक्षा में किया गया है। ऐसे मामलों में निधियों में धनराशि अंतरित होने के उपरांत ही आवंटन विमुक्त किया जायेगा। जिन क्षेत्रों/योजनाओं पर विभिन्न निधियों से उपलब्ध धनराशि/बजट प्रावधान का व्यय किया जाना है उनमें वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिये आवश्यक प्रस्ताव इसी वित्तीय वर्ष में यथा समय वित्त विभाग को भेजे जायें। प्रशासकीय विभाग द्वारा आवधिक समायोजन के आदेश वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व जारी करने की कार्यवाही की जाए।
- (xi) आरक्षित निधियों में अंतरण की कार्यवाही वित्त विभाग से सहमति उपरांत की जाना आवश्यक है। वित्त विभाग से सहमति उपरांत आरक्षित निधियों में अंतरण के आदेश विभाग द्वारा जारी कर महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग को प्रेषित किये जाए। साथ ही आईएफएमआईएस से भी आरक्षित निधियों में अंतरण की कार्यवाही वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व कराई जाना सुनिश्चित करे।
- (xii) बजट अनुमानों में अपरीक्षित मदों में रखे गये प्रावधानों के विरुद्ध व्यय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक-347/आर.1703/चार/ब-1/2012 दिनांक 31.03.2017 (अथवा इस दिनांक के पश्चात इस विषय पर जारी परिपत्र अनुसार) में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के उपरांत किया जाये।
- (xiii) नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त करने हेतु व्यय के लेखे प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्रेषित किया जावे।
- (xiv) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु इन निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,




(आईरीन सिंथिया जे.पी.)  
संचालक, बजट एवं अपर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

कमॉक 374 / आर-63 / 2022 / ब-1 / चार .

भोपाल दिनांक 31 मार्च 2022

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर / ग्वालियर ।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी / आडिट) 1/2 म.प्र. ग्वालियर / भोपाल ।
9. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
11. समस्त सचिव / संचालक बजट / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
12. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
15. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
16. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.finance.mp.gov.in](http://www.finance.mp.gov.in) पर अपलोड करने हेतु ।



(रूपेश कुमार पठवार)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

## मुक्त श्रेणी के व्यय

क्र.	व्यय का प्रकार	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	
(क)	छात्रवृत्ति के निम्न मद।	-	-	-	41- छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ	001-शिष्य वृत्ति 002-छात्रवृत्ति 003-अध्ययन भ्रमण	
(ख)	जहाँ अनुदान से किसी संस्था में वेतन/भत्तों का भुगतान होता हो।	-	-	-	42- सहायक अनुदान	002-संधारण अनुदान (वेतन, भत्ते, मानदेय इत्यादि)	
		027- स्कूल शिक्षा	2202	0581,2669, 3491,4396, 8403	42- सहायक अनुदान	009-पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान	
		033-जनजातीय कार्य	2202	2773,3496	42- सहायक अनुदान	009-पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान	
(ग)	जहाँ व्यय किसी घटना पर आधारित हो (जैसे- प्राकृतिक- आपदा आरबीसी 6(4) के तहत भुगतान, राहत राशियाँ इत्यादि)	008-भू राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	2235 उप मुख्य शीर्ष -60 लघु शीर्ष-800	-	-	-	
			2245,4250 एवं 6245	-	-	-	
(घ)	अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा	033-जनजातीय कार्य 049-अनुसूचित जाति कल्याण	2225	5191	-	-	
(ङ)	न्यायालयीन आदेश/डिक्री से संबंधित भुगतान	-	-	-	53-डिक्री धन का भुगतान	-	
(च)	शासन की ऐसी देयताएँ जहाँ निर्धारित तिथि को ही भुगतान होता है। (जैसे- ऋण भुगतान, ब्याज भुगतान एवं Annuity राशियाँ)	•(dot) भारत विनियोग ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा  ••(double dot) भारत विनियोग लोक ऋण	-	-	-	-	
			011- औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	4875	7879	68-एन्यूटी	-
			006-वित्त	2071	-	-	-
				6075	6787, 6788, 6842	-	-
			7610	9084,9085	-	-	
024-लोक निर्माण कार्य	5054	6738	68-एन्यूटी	-			

क्र.	व्यय का प्रकार	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष
(छ)	स्थापना व्यय/सामाजिक सुरक्षा पेंशन	-	-	-	11-वेतन, भत्ते, 12-मजदूरी, 13-पेंशन तथा अनुषांगिक लाभ, 15-सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 16-वेतन भत्ते अखिल भारतीय सेवा, 17-वेतन भत्ते विधायक/मंत्री, 18-वेतन भत्ते न्यायिक सेवा, 19-कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों का वेतन, 21-यात्रा भत्ता	
		-	-	-	22- कार्यालय व्यय	001- डाक एवं तार व्यय, 002-दूरभाष व्यय, 004- पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं, 005- बिजली एवं जल प्रभार, 007-लेखन सामग्री एवं फॉर्म, 009-पेट्रोल, तेल आदि, 011-किराया महसूल और स्थानीय कर
(ज)	15वे वित्त आयोग से संबंधित व्यय	022-नगरीय विकास एवं आवास	-	9638, 9640	-	-
		040-पंचायत	-	9638	-	-
(झ)	अन्य आवश्यक व्यय	007-वाणिज्यिक कर	-	4612	-	-
		010-वन	-	0535, 7781	31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ	007-परिवहन व्यवस्था
		012-ऊर्जा	-	2362, 5378, 5381, 5855 एवं 7313	-	-
		022-नगरीय विकास एवं आवास	-	8018	42- सहायक अनुदान	008- राज्य शासन द्वारा उद्ग्रहीत और संग्रहीत कर आदि का स्थानीय निकायों को समनुदेशन
			-	1425	45-पूजीगत परिसंपत्तियाँ निर्मित किये जाने हेतु अनुदान	001- पूजीगत परिसंपत्तियाँ निर्मित किये जाने हेतु अनुदान
		030-ग्रामीण विकास	-	6255	42- सहायक अनुदान	009-पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान
		032-जनसंपर्क	-	1294	44- राज सहायता	008- अन्य राज सहायता
		033-जनजातीय कार्य	-	7763	42- सहायक अनुदान	007-अन्य
		040-पंचायत	-	8214	42- सहायक अनुदान	009-पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान
			-	6299	42- सहायक अनुदान	007-अन्य
051-धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	-	6225	-	-		
055-महिला एवं बाल विकास	-	0658, 5643, 6392, 9050	31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ	004-विशेष सेवाओं के लिये मानदेय		

निर्धारित विशेष व्यय सीमा (पूँजीगत)

(राशि रुपये करोड़ में)

क्रं	विभाग	मॉड	मासिक विशेष व्यय सीमा											विभाग का कुल	
			अप्रैल 2022	मई 2022	जून 2022	जुलाई 2022	अगस्त 2022	सितंबर 2022	अक्टूबर 2022	नवंबर 2022	दिसंबर 2022	जनवरी 2023	फरवरी 2023		मार्च 2023
1	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	020	692	692	692	692	692	692	692	692	689	519	519	518	7781
2	लोक निर्माण	024	499	499	499	499	499	499	499	499	502	374	374	375	5617
3	जल संसाधन	023	408	408	408	408	408	408	408	408	405	306	306	305	4586
4	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	030	346	346	346	346	346	346	346	346	344	259	259	260	3890
5	ऊर्जा	012	322	322	322	322	322	322	322	322	326	242	242	241	3627
6	नर्मदा घाटी विकास	048	267	267	267	267	267	267	267	267	266	200	200	201	3003
7	नगरीय विकास एवं आवास	022	257	257	257	257	257	257	257	257	255	193	193	192	2889
8	जनजातीय कार्य	033	133	133	133	133	133	133	133	133	130	100	100	99	1493
9	स्कूल शिक्षा	027	130	130	130	130	130	130	130	130	127	97	97	98	1459
10	राजस्व	008	126	126	126	126	126	126	126	126	130	95	95	94	1422
11	वन	010	124	124	124	124	124	124	124	124	127	93	93	94	1399
12	चिकित्सा शिक्षा	052	95	95	95	95	95	95	95	95	94	71	71	71	1067
13	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	019	81	81	81	81	81	81	81	81	78	60	60	61	907
14	उच्च शिक्षा	044	60	60	60	60	60	60	60	60	63	45	45	46	679
	माहवार योग		3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3536	2654	2654	2655	

नोट - यह विशेष व्यय सीमा ऊपर वर्णित मांग संख्या के अंतर्गत आने वाली सभी पूँजीगत मदों के लिये है।

६



## वित्त विभाग से अनुमति उपरांत ही आहरण योग्य योजनाएं

क्र०	विभाग का नाम	योजना का क्रमंक एवं नाम
1	नगरीय विकास एवं आवास	7705 - स्मार्ट सिटी
		9935 - नगरीय निकायों को कार्यशील पूंजी ऋण
2	गृह	3059 - मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना
3	महिला एवं बाल विकास	5067 - लाडली लक्ष्मी योजना-42-007
4	चिकित्सा शिक्षा	7853 - नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
5	सहकारिता	9254 - सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान
		2341 - मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना
6	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1299 - लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति
7	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	7879 - औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास
		5531 - डिस्टिनेशन म0प्र0 इन्वेस्टमेंट ड्राइव
		9842 - औद्योगिक क्षेत्रों का लैण्डपूलिंग योजना अंतर्गत विकास
8	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	6820 - क्लस्टर की स्थापना
9	संस्कृति	7060 - सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
		0749 - वेदान्त पीठ की स्थापना
		9571 - रामपथ गमन अंचल विकास योजना
10	जनजातीय कार्य	7826 - कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के परिवहन योजना
11	जनसंपर्क	7660 - कार्यक्रम, आयोजन तथा प्रबंधन
12	राजस्व	7667 - 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण
		8030 - पुनर्स्थापन के लिये सहायता एवं अन्य कार्य हेतु
		9594 - एसडीआरएफ/एसडीएमएफ फण्ड(ब्याज भुगतान)
13	वन	8859 - वन पर्यटन से प्राप्त आय के सापेक्ष व्ययों का समायोजन
14	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	6496 - उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत स्वीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना
15	श्रम	2365 - मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना
16	कृषि	7847 - मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना
		9599 - फसल अवशेष प्रबंधन योजना

६

## सक्षम प्राधिकारी से योजना की अनुमति उपरांत आहरण योग्य योजनाएं

क्र०	विभाग का नाम	योजना का क्रमंक एवं नाम
1	नगरीय विकास एवं आवास	9578 - नगरीय निकायों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अग्निशमन व्यवस्था हेतु अनुदान
		9631 - नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण
		9611 - स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना
2	गृह	9982 - मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल दत्तिया
3	महिला एवं बाल विकास	9586 - लाडली लक्ष्मी योजना निधि (ब्याज भुगतान)
		6103 - समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) (मिशन वात्सल्य) केवल पूंजीगत मद
		8052 - किशोर कल्याण निधि योजना
		9499 - आगनवाडी भवनों में विद्युत व्यवस्था
		9614 - महिलाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता
4	स्कूल शिक्षा	7912 - शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओ का संधारण एवं अन्य कार्य
		9560 - कलाओं से समृद्ध शिक्षा-अनुगूज
		9563 - जननिजी भागीदारी अंतर्गत सैनिक स्कूल की स्थापना
		9573 - सैनिक स्कूल रीवा में बालिका छात्रावास निर्माण हेतु अनुदान
		9562 - समरसता छात्रावास
		9616 - योग आयोग की स्थापना
5	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	9549 - मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड को सहायता
6	ऊर्जा	7837- 15 वें वित्त आयोग के अनुरूप अपेक्षित सुधार करने पर सहायता
7	जनजातीय कार्य	7912 - शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओ का संधारण एवं अन्य कार्य
		9604 - अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता
8	राजस्व	6276 - आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु
9	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	9583 - आकांक्षी विकासखण्ड सहायता योजना
		9584 - डाटा सुदृढीकरण योजना
		9602 - शासकीय योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
10	विमानन	6592 - नये जेट विमान का कय
11	पिछडा वर्ग कल्याण	5181 - बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण
		9607 - पिछडा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता
12	आयुष	9519 - देवारण्य योजना
13	अनुसूचित जाति कल्याण	9606 - अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता
14	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9585 - राज्य हीमोग्लोबीनोपैथी मिशन
15	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	9561 - शासकीय माईनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय सिंगरौली
		9617 - मुख्यमंत्री कारीगर कौशल उन्नयन योजना
16	उच्च शिक्षा	9574 - शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था

17	वन	7824 - प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि पर ब्याज भुगतान
18	पशुपालन	9612 - मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना
19	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	9613 - मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना
20	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	9538 - निर्यात प्रोत्साहन योजना
		9531 - एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना
21	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	9611 - स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना
		9579 - राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर नर्मदा तट पर स्थित ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान योजना
		9580 - राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर भीमबैठका तथा तामिया के पर्यटन विकास हेतु अनुदान योजना
22	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	9551 - सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जाकरण
23	जल संसाधन	9551 - सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जाकरण
24	नर्मदा घाटी विकास	9551 - सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जाकरण
25	सामान्य प्रशासन	9608 - क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल
26	जेल	7817 - बंदियों द्वारा सामग्री निर्माण हेतु एक मुश्त सहायता
27	लोक सेवा प्रबंधन	9602 - शासकीय योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
28	खनिज	9531 - एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना
29	कृषि	9529 - मांग आधारित कृषि हेतु कृषि विविधीकरण की योजना
		9530 - जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु प्रचार प्रसार की योजना
		9532 - म0प्र0 की विशिष्ट फसलों/किस्मों के जी.आई.टैग हेतु योजना
		9533 - म0प्र0 राज्य मिलेट मिशन योजना
		9534 - कृषक उत्पादक संगठनों(एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन योजना
		9538 - निर्यात प्रोत्साहन की योजना
		9576 - कृषि क्षेत्र में अघोसंरचना विकास योजना
		9598 - प्राथमिक प्रसंस्करण को प्रोत्साहन योजना
		9600 - कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम
9531 - एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना		
30	खेल एवं युवा कल्याण	7662 - खेलो इंडिया
31	घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु जनजाति	9094 - समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण
		4049 - विमुक्त जातियों को रोजगार सहायता
32	समस्त विभाग	9545 - विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण
		अपरीक्षित मद की अन्य सभी नवीन योजनाएं

६

बजट अनुमान 2022-23 में प्रावधानित शेष आवंटन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र

(राशि लाख में)

I

बजट शीर्ष	बजट प्रावधान (अनुपूरक सहित)	उपलब्ध आवंटन	पुनर्विनियोजन से वृद्धि/कमी	कुल उपलब्ध आवंटन (5=3+4)	अद्यतन व्यय	शेष उपलब्ध आवंटन (7=5-6)	अतिरिक्त आवश्यक राशि	आवश्यकता का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II

कंडिका I में उल्लेखित आवश्यकता की पूर्ति पुनर्विनियोजन से किये जाने के संबंध में टीप दे ।

III

यदि कंडिका I में उल्लेखित बजट शीर्ष केन्द्र समर्थित अथवा राज्य शासन से पृथक किसी अन्य एजेन्सी द्वारा समर्थित है, तो ऐसी सहायता राशि/केन्द्रांश प्राप्त होने की स्थिति की जानकारी दे ।

५

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण

- कंडिका 3(i) अनुसार मुक्त श्रेणी के व्यय पर त्रैमासिक व्यय सीमा लागू नहीं होगी।
- कंडिका 4.2 के अनुसार जिन बजट शीर्षों पर विशेष व्यय सीमा लागू हो वहाँ पर त्रैमासिक व्यय सीमा लागू नहीं होगी।
- शेष बजट शीर्षों के लिये त्रैमासिक व्यय सीमा प्रत्येक बजट शीर्ष स्तर (उद्देश्य शीर्ष स्तर तक) पर लागू होगी।

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण निम्नानुसार गणना से किया जायेगा :-

(A) =	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को वित्त विभाग द्वारा कटौती उपरांत उपलब्ध कराया गया कुल बजट आवंटन (मुख्य बजट तथा अनुपूरक बजट सहित)
-------	---

परिशिष्ट-2 को छोड़कर त्रैमासिक व्यय सीमा (पूँजीगत/राजस्व मद में) निम्नानुसार होगी :-

अवधि/त्रैमास	त्रैमासिक व्यय सीमा
Q1+Q2	उपरोक्त (A) का 55 %
Q1+Q2+Q3	उपरोक्त (A) का 80 %
Q4 (केवल)	उपरोक्त (A) का 30 % (अधिकतम)

६